

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक :20 जुलाई- 2018,

--: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अगस्त- 2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं० 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1-	पीठ-1इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	01.08.18 से 03.08.18	पीठ-1इलाहाबाद(न्याय0) व पीठ-2 इलाहाबाद (वि0)
2-	पीठ-बरेली	पीठ-बरेली	01.08.18 से 04.08.18	पीठ-बरेली (न्याय0) व पीठ-2 आगरा (वि0)
3-	पीठ-गोरखपुर	पीठ-गोरखपुर	01.08.18 से 03.08.18	पीठ-गोरखपुर (न्याय0) व पीठ-फैजाबाद (वि0)

ह0- 20.7.18

( विकार अहमद अन्सारी )

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1610/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुत्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।